स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट सं0 205, दिनॉकः 22–08–2020

अर्न्तराज्यीय स्तर पर ए0टी0एम0 तथा कामर्शियल साइटों के नाम से फ्राड करने वाले गैंग के 05 सदस्यों को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व जनपद आगरा पुलिस के संयुक्त अभियान में किया गिरफ्तार।

दिनांक 22–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान ए0टी0एम0 तथा कामर्शियल साइटों के नाम से डिजीटल फ्राड करने वाले गैंग के 05 सदस्यों को जनपद आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. शकील खान पुत्र रज्जाक खान निवासी ग्राम कलतरिया पो0 शहसन तहसील पहाड़ी थाना जुरहैरा जनपद भरतपुर (राजस्थान)
2. लक्ष्मीनारायण गौड पुत्र घीसाराम गौड निवासी ग्रा0 व पो0 व थाना जुरहैरा तहसील कामा जनपद भरतपुर (राजस्थान)
3. सतीश चन्द्र चौधरी पुत्र गोपाल सिंह निवासी बराखुर थाना चिकसाना जनपद भरतपुर (राजस्थान)
4. बंशी लाल चौधरी पुत्र भोलाराम निवासी आनन्दी भैंरो मन्दिर मऊ दयालबाग थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
5. सुनील कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी शिव मन्दिर के पास मोहल्ला श्याम नगर थाना मथुरा गेट जनपद भरतपुर (राजस्थान)

बरामदगीः–

1. 01 अदद पासबुक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया।
2. 01 अदद फिंगर अनलाक मशीन (अंगूठा लगाकर खोलने वाली)
3. 01 अदद स्वैप मशीन।
4. 01 अदद मोहर।
5. 13 अदद ए0टी0एम0 कार्ड विभिन्न बैंको के।
6. 06 अदद मोबाइल फोन
7. 01 अदद मोटर साईकिल पल्सर नं0 एच0आर0–28डी–3893
8. 01 अदद सेन्ट्रो कार नं0 डी0एल0–10 सी0ए0 7788
9. रू0 5,000/– नकद

गिरफारी का स्थान व समयः–

दिनांक 22.08.2020, स्थानः–थाना ताजगंज, जनपद आगरा की चौकी तोरा क्षेत्रान्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, के आगे बुढाना रोड पर, समय 00:10 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में फर्जी तरीके से काल करके लोगों को अपने झॉसे मे लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों/गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 21–08–2020 की रात्रि में मुखबिर खास से ज्ञात हुआ कि थाना ताजगंज, जनपद आगरा क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है, जो धोखाधड़ी करके फर्जी

तरीके से काल करके लोगों से ओ0टी0पी0 नम्बर लेकर भोले–भाले लोगों से ए0टी0एम0 लेकर, उन ए0टी0एम0 का प्रयोग कर लोगों से आनलाईन डिजिटल पैसे की ठगी/ट्रान्सफर व आनलाईन खरीदारी करता है। जिसके द्वारा डिजिटल रूप से पैसे का लेन–देन, धोखाधड़ी कर स्वॅय को लाभ पहुचॉने का कार्य किया जा रहा है। उक्त गैंग के सदस्य थाना ताजगंज, जनपद आगरा की तोरा चौकी क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के आगे बुढाना रोड के पास इकठ्ठा हुये है, तथा किसी कार्य को अंजान देने की फिराक में है, यदि शीघ्रता की जाये तो इस गैंग को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री अशोक कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह, आरक्षी अनवर खान, आरक्षी प्रशांत चौहान, आरक्षी अभिनय यादव, आरक्षी बृजराज सिंह, कमाण्डो रवेन्द्र कुमार, कमाण्डो चन्द्रपाल सिंह व आरक्षी चालक रामदीन की टीम गठित कर उसे तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना किया गया, तथा इस सूचना को थाना ताजगंज, जनपद आगरा से भी साझा किया गया। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से करीब 20 कदम पीछे ही मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि जो दो व्यक्ति पल्सर मोटर साईकिल तथा तीन व्यक्ति जो सेन्ट्रो कार में है, वही पॉचो लोग है। मुखबिर की सूचना को विश्वसनीयता का महत्व देते हुये, इस गिरोह की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु एस0टी0एफ0/पुलिस टीम इन पॉचों व्यक्तियों के नजदीक पहुॅची तो अपने पास आते हुये लोगो के हावभाव देखकर उक्त पॉचों लोग सकपका गये तथा उन्होनें भागने का प्रयास किया, जिन्हें टीम द्वारा घेरकर तथा आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार किये गये फ्राड गैंग के सरगना अभियुक्त शकील खान निवासी उपरोक्त ने बताया कि वह तथा उसके गैंग के सदस्य भोले–भाले तथा जरूरतमंद लोगो को बहला फुसलाकर तथा उन्हें कुछ रूपयों का लालच देकर आठ–दस दिनों के लिये उनका ए0टी0एम0, अकाउन्ट नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 कोड आदि प्राप्त कर लेते थे। जिसका उपयोग वह कालरो से इन अकाउन्टों में पैसा डलवाकर, मकसद मे कामयाब होने पर ए0टी0एम0 से तत्काल पैसा निकाल कर आपस मे बांट लेते थे। गैंग के सभी सदस्य डिजिटल लेनदेन करते थे। इस फ्राड के काम से हम लोग एक महीने में लगभग 10–12 लाख रूपये आराम से कमा लेते थे। हम लोग इस काम को 2–3 साल से निरंतर कर रहे है। इससे पहले कभी भी पकड़े नही गये है। जनपद आगरा में हम लोग इस कार्य को करने के लिये ही आये थे। सरगना शकील खान द्वारा पूछताछ में बताये गये उपरोक्त तथ्यों का गैंग के अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया।

इस गैंग की कार्य पद्वति (Modus operandi) के सम्बन्ध में पूछताछ/जानकारी किये जाने पर बताया गया कि वह लोग ओ0एल0एक्स0 साइट पर गाड़ियों के फोटो डालकर कालर को दिखाकर गाड़ी पसंद कराते थे। कालर (सम्पर्क करने वाले व्यक्ति) द्वारा गाड़ी पसन्द आने पर उससे टोकन मनी के रूप में पैसा अकाउन्ट मे डलवाते थे। अमेजॉन पर शापिंग करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन फ्राड के परम्परागत तरीकों से इतर सामान्य/व्यवहारिक लगने वाली स्कीमों/उपहार का प्रलोभन देकर तथा उन्हें अपने झॉसे में लेकर विभिन्न अकाउन्टों में पैसा डलवा लेते थे। इस प्रकार लोगो से विभिन्न अकाउन्टों मे डलवाये गये पैसों को वह लोग उनके पास से बरामद हुये ए0टी0एम0, पासबुक, स्वैप मशीन, फिंगर अनलाक मशीन (अंगूठा लगाकर खोलने वाली) व मुहर आदि उपकरणों का प्रयोग करके निकालकर आपस में वितरित कर लेते थे। इस गैंग का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा हरियाणा राज्य के विभिन्न जनपदों मे है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्व थाना ताजगंज जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 651/2020 धारा–419/420 भादवि व सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम–2008 की धारा 66 सी/66 डी के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना ताजगंज जनपद आगरा द्वारा की जा रही है।